

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

रामगोपाल

बनाम

~~क. फ. उ. प. / साक्ष्य पेश करने हेतु~~

मुकदमा संख्या-

17/2019

आज्ञा विस्तृत रूप से

विराम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विराम
16/10/23	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>27/10/23</u> को पेश हो।</p>	
27/11/23	<p>चिकित्सकों द्वारा आज कण्डोलेंस/कार्यवाही के लिए रोकित रखे जाने से पत्रावली गत अनुसार दिनांक <u>11/12/23</u> को पेश हो।</p>	
11/12/24	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>13/12/24</u> को पेश हो।</p>	
13/5/24	<p>क. फ. उ. प. / साक्ष्य पेश करने हेतु न्यायालय में दायित्व अवकाश दिया जाता है प्रवाक्ती वास्ते साक्ष्य पेशी हेतु आगामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।</p>	
22/5/24	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>21/5/24</u> को पेश हो।</p>	
31/5/24	<p>क. फ. उ. प. / ककील वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु पत्रावली अवकाश विधि जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अतः प्रवाक्ती न्यायालय आदेश की अवहेलना में साक्ष्य की जाती है। प्रवाक्ती वर्तन नम्बर से कम होकर वाक्विल दफ्तर है।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	